अध्याय-9

लेखापरीक्षा, जाँच और अधिभार

Chapter-IX

Audit, Inquiry and Surcharge

54. लेखापरीक्षा— (1) सहकारी सोसाइटियों के लेखापरीक्षण के लिये रजिस्ट्रार विहित रीति से लेखापरीक्षकों के तीन पेनल अर्थात् विभागीय लेखापरीक्षकों, प्रमाणित लेखापरीक्षकों और चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा- परिभाषित, चार्टर्ड अकाउन्टेंटों के तैयार करेगा और उनमें से किसी एक ऐसे पेनल में से, जिसके लिये सोसाइटी निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प दे, लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(2) प्रत्येक सोसाइटी अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक से करवायेगी, परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा लगातार दो वर्ष से अधिक नहीं करेगा।

(3) सोसाइटी, लेखाओं की लेखापरीक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, सोसाइटी की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागजपत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच को सुगम बनायेगी।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी या एजेंट है या किसी भी समय रहा है और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी लेखापरीक्षक अपेक्षा करे।

(5) लेखापरीक्षक, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर लेखापरीक्षा को पूर्ण करके लेखापरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगा। यदि लेखापरीक्षा के समय किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं तो रजिस्ट्रार या उसके अनुमोदन से उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उन लेखाओं को सोसाइटी के खर्चे पर पूर्ण रूप से लिखवायेगा।

(6) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक को सोसाइटी के सभी नोटिस, और वार्षिक साधारण बैठक से संबंधित प्रत्येक संसूचना प्राप्त करने का और ऐसी बैठक में उपस्थित होने और उसमें सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि इस धारा के अधीन की गयी लेखापरीक्षा के परिणामों से सहकारी सोसाइटी के कार्यकरण में कोई भी त्रुटि प्रकट होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटि को सोसाइटी के और यदि सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी से संबद्ध है तो उस अन्य सोसाइटी के भी ध्यान में लायेगा।

(8) रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षा में प्रकट त्रुटियों को आदेश में उल्लिखित समय के भीतर-भीतर ठीक करने के लिए सोसाइटी या उसके अधिकारियों को निदेश देते हुए आदेश करेगा।

54. Audit.— (1) For the audit of co-operative societies, the Registrar shall prepare three panels of auditors, viz. departmental auditors, certified auditors and Charted Accountants, as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949), in the manner prescribed, and shall, from one of such panels which the society may, within the time prescribed therefor, opt, appoint the auditor.

(2) Every society shall get its accounts audited by an auditor appointed by the Registrar, provided that no person shall audit the accounts of a society for more than two years in continuation.

(3) The society shall render, to every person auditing the accounts, access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to the society.

(4) Every person, who is, or has at any time been, an officer or an employee or an agent of the society and every member and past member of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the auditor may require.

(5) The auditor, completing the audit within the period specified by the Registrar, shall submit the audit report in a proforma prescribed by the Registrar. If at the time of audit the accounts of a co-operative society are not complete, the Registrar or with his approval, the person authorised by him may cause the accounts to be written up at the expense of the society.

(6) The auditor appointed by the Registrar shall have the right to receive all notices, and every communication relating to the annual general meeting of the society and to attend such meeting and to be heard thereat.

(7) If the result of the audit held under this section discloses any defects in the working of co-operative society, the Registrar may bring such defects to the notice of the society and, if the society is affiliated to another co-operative society, also to the notice of such other society.

(8) The Registrar may make an order directing the society or it's officers to remedy the defects disclosed in the audit, within the time mentioned in the order.

55. रजिस्ट्रार द्वारा जांच— (1) रजिस्ट्रार,

(क) ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिससे कि संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध है; या

(ख) सोसाइटी की समिति के सदस्यों के बहुमत; या

(ग) सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग से अन्यून,

के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से या तो स्वयं या अपने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के जरिये किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, अवधि विशेष में किये गये कारबार और वित्तीय स्थिति के बारे में जांच कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या उप-धारा (1) के अधीन, उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(क) उसकी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी तथा अन्य सम्पत्तियों तक सभी उचित समयों पर अबाध पहुंच होगी और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी कोई भी पुस्तकें, लेखे, दस्तावेज, प्रतिभूतियाँ, नकदी या अन्य संपत्तियाँ हों या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे सोसाइटी के किन्हीं कार्यकलापों की जानकारी है, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा में अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की, शपथ पर परीक्षा कर सकेगा; और

(ग) (i) वह, सोसाइटी की किसी साधारण बैठक के लिए नोटिस की कालावधि विनिर्दिष्ट करने वाले किसी नियम या उपविधि के होते हुए भी, सोसाइटी के अधिकारियों से, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी भी शाखा पर ऐसे समय तथा स्थान पर साधारण बैठक बुलाने और ऐसे मामलों का, जिनके लिए उसके द्वारा निदेश दिया जाये, अवधारण करने का निदेश दे सकेगा और यदि सोसाइटी के अधिकारी ऐसी कोई बैठक बुलाने से इंकार करें या बुलाने में विफल रहें तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने की शक्ति होगी;

(ii) उपखण्ड (i) के अधीन बुलायी गयी किसी बैठक को, सोसाइटी की उपविधियों के अधीन बुलायी गयी साधारण बैठक की समस्त शक्तियाँ होंगी और उसकी कार्यवाहियों का नियमन उपविधियों द्वारा होगा।

(3) सोसाइटी के ऐसे समस्त अधिकारी, सदस्य और कर्मचारी, जिनके कार्यकलापों के संबंध में इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाये, सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में अपने पास की ऐसी जानकारी देंगे जिसकी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

(4) रजिस्ट्रार किसी भी जांच को ऐसे अधिकारी से, जिसे वह न्यस्त की गयी है, प्रत्याहृत करने और उसे स्वयं करने या उसे ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, सौंपने के लिए सक्षम होगा।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाती है तो रजिस्ट्रार जांच का परिणाम सोसाइटी को और उस सहकारी सोसाइटी को, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जिससे वह सम्बद्ध है।

(6) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी के या उसके वित्तीय बैंक के या किसी अन्य सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को, जांच के परिणामस्वरूप पायी गयी त्रुटियों को, यदि कोई हों, आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर ठीक करने के लिए ऐसी कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

55. Inquiry by Registrar.— (1) The Registrar may, on the application of-

(a) a co-operative society to which the society concerned is affiliated; or

(b) a majority of the members of the committee of the society; or

(c) not less than one-tenth of the total number of members of the society,

or, of his own motion, either by himself or by a person authorised by him by order in writing, hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of a co-operative society.

(2) The Registrar, or the person authorised by him under sub-section (1), shall, for the purposes of an inquiry under this section, have the following powers, namely:—

(a) he shall, at all reasonable times, have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may summon any person in possession, or responsible for the custody, of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties, to produce the same at the headquarters of the society or any branch thereof;

(b) he may summon any person, who, he has reason to believe, has knowledge of any of the affairs of the society, to appear before him at the headquarters of the society or any branch thereof and may examine such person on oath; and

(c) (i) he may, notwithstanding any rule or bye-law specifying the period of notice for a general meeting of the society, require the officers of the society to call a general meeting at such time and place at the headquarters of the society or any branch thereof and to determine such matters as may be directed by him, and where the officers of the society refuse or fail to call such a meeting, he shall have power to call it himself;

(ii) any meeting called under sub-clause (i), shall have all the powers of a general meeting called under the bye-laws of the society and its proceedings shall be regulated by bye-laws.

(3) All officers, members and employees of the society, whose affairs are investigated under this section, shall furnish such information in their possession in regard to the affairs of the society as the Registrar or the person authorised by the Registrar may require.

(4) It shall be competent for the Registrar to withdraw any enquiry from the

officer to whom it is entrusted, and to hold the enquiry himself or to entrust it to any other person as he deems fit.

(5) When an inquiry is made under this section, the Registrar shall communicate the result of the inquiry to the society and to the co-operative society, if any, to which that society is affiliated.

(6) The Registrar may, by an order in writing, direct any officer of the society or its financing bank or any other society to take such action as may be specified in the order to remedy, within such time as may be specified therein, the defects, if any, disclosed as a result of the enquiry.

56. वित्तीय बैंक द्वारा पुस्तकों का निरीक्षण— किसी वित्तीय बैंक को किसी सहकारी सोसाइटी की, जो उसकी ऋणी है, पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण या तो वित्तीय बैंक के किसी अधिकारी द्वारा या उसके वेतन पाने वाले स्टॉफ के ऐसे किसी सदस्य द्वारा किया जा सकेगा, जो ऐसे बैंक की समिति की सिफारिश पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्रमाणित हो। इस प्रकार निरीक्षण करने वाले अधिकारी या सदस्य की सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक समस्त उचित समयों पर अबाध पहुंच होगी और वह ऐसी सूचना, विवरण और विवरणियों की अपेक्षा भी कर सकेगा जो सोसाइटी की वित्तीय स्थिति की और वित्तीय बैंक द्वारा उसे उधार दी गई राशियों की संरक्षा के अभिनिश्चयन के लिए आवश्यक हों।

56. Inspection of books by financing bank.— A financing bank shall have the right to inspect the books of any co-operative society which is indebted to it. The inspection may be made either by an officer of the financing bank or by a member of its paid staff certified by the Registrar on the recommendation of the committee of such bank as competent to undertake such inspection. The officer or member so inspecting shall, at all reasonable times, have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may also call for such information, statement and returns as may be necessary to ascertain the financial condition of the society and the safety of the sums lent to it by the financing bank.

57. अधिभार— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गयी किसी लेखापरीक्षा,

जांच, निरीक्षण या किसी समापक की रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध में कोई भाग लिया है या जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है या किसी भी समय रहा है, इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई संदाय कर दिया है या जानबूझकर उपेक्षा करके सोसाइटी की आस्तियों में कमी कर दी है या ऐसी सोसाइटी के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रख लिया है तो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति के आचरण के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा या अपने द्वारा इस निमित्त लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने का निदेश दे सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन आचरण की कोई जांच ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की जायेगी जिसने उसी मामले में पूर्व में लेखापरीक्षा, जांच, निरीक्षण या समापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई भी जांच किसी कार्य या लोप की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या ऐसे कार्य या लोप का रजिस्ट्रार को ज्ञान होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जायेगी:

परन्तु यह भी कि सामान्य कारबारी समझबूझ के साथ सोसाइटी के हित में किये गये किसी कार्य या विनिश्चय के कारण हुई कोई कारबारी हानि ऐसी जांच की विषयवस्तु नहीं होगी।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन कोई जांच की जाये, वहाँ रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर देने के पश्चात्, उससे धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग का ऐसी दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने या प्रत्यावर्तित करने या ऐसी सीमा तक अभिदाय और खर्चों का या प्रतिकर का संदाय करने की अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा जिसे रजिस्ट्रार न्यायोचित और साम्यपूर्ण समझे।

(3) यह धारा इस बात के होते हुए भी लागू होगी कि ऐसे व्यक्ति या अधिकारी ने अपने किसी कार्य या लोप के कारण आपराधिक दायित्व उपगत कर लिया हो।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ ''रजिस्ट्रार'' के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई है।

57. Surcharge.— (1) If on the basis of an audit, inquiry, inspection or a Liquidator's report made under the provisions of this Act, it comes to the knowledge of the Registrar that any person, who has taken any part in the organisation or management of such society or who is or has at any time been an officer or an employee of the society, has made any payment contrary to the provisions of this Act,

the rules or the bye-laws or has caused any deficiency in the assets of the society by willful negligence or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, the Registrar may, inquire himself or direct any person authorised by him, by an order in writing in this behalf, to inquire into the conduct of such person :

Provided that no inquiry into the conduct shall be done under this section by a person who has earlier submitted report of audit, inquiry, inspection or liquidation in the same matter :

Provided further that no such inquiry shall be held after the expiry of six years from the date of an act or omission or after the expiry of two years from the date of knowledge of the Registrar of such act or omission :

Provided also that any business loss occurred due to an act done or decision taken in the interest of the society with a common business prudence shall not be a subject matter of such inquiry.

(2) Where an inquiry is made under sub-section (1), the Registrar may, after giving the person concerned an opportunity of representing his case, make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent, as the Registrar may consider just and equitable.

(3) This section shall apply notwithstanding that such person or officer may have incurred criminal liability by his act.

Explanation :- For the purpose of this section "Registrar"shall not include officers on whom powers of the Registrar have been conferred under sub-section (2) of section 4.

❑ ❑